ISSN 0973-8541, HUMANITIES AND DEVELOPMENT, VOL.18, NO.2, JULY-DEC,2023 /99

बाल अपराध : समस्या एवं सामाधान

डॉ0 अमूल्य कुमार सिंह
प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, का0 सु0 साकेत महाविद्यालय, अयोध्या।
सुमन सिंह
शोध छात्रा, समाजशास्त्र विभाग, का0 सु0 साकेत महाविद्यालय, अयोध्या
https://doi.org/10.61410/had.v18i2.152

सारांश :– वर्तमान में बाल अपराध एक गंभीर समस्या बन गई है। यह समस्या केवल भारत में ही नहीं अपितु विश्व के लिए भी चिन्ता का कारण है। बाल अपराध बालक का लड़कपन या नटखटपन है जिसके वशीभूत वह कानून का उल्लंघन करता है अथवा जन–कल्याण में बाधा उत्पन्न करता है। बाल अपराध को अपराध का मुख्य द्वार कहा गया है। हमारे देश में बाल अपराध में निरन्तर वृद्धि हो रही है।

शब्द संकेत :– बाल अपराध, वैश्विक, नटखटपन, अनुपयुक्त

प्रस्तावना :–

बाल अपराध एक वैश्विक समस्या है जो प्रत्येक समाज में किसी न किसी रूप में विद्यमान है। प्रत्येक समाज में सदस्यों की हितों एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ नियम और कानून बनाये जाते हैं जिसका पालन करना सभी सदस्यों के लिए अनिवार्य होता है। अन्यथा कानून का उल्लंघन करने वाले कठोर दंड के भागी होते है। जब हम बाल अपराधी की बात करते हैं तो हम यह पाते है कि अपराधी बालक वह जिसका व्यवहार अपेक्षाकृत एक वैधानिक अपराध होता है, यह व्यवहार उसके विकास हेतु अनुपयुक्त होता हैं और उस संस्कृति के लिए परिचित होता है जिसमें बालक का पालन–पोषण हो रहा है।

दूसरे अर्थ में इसे हम यह कह सकते हैं कि जब कोई बालक सामाजिक, आर्थिक, नैतिक या शैक्षणिक नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसके इन व्यवहारों को बाल–अपराध तथा उस बालक को अपराधी बालक (Delinquent Child) कहते हैं। इस तरह के बालकों में चोरी करना, स्कूल से भाग जाना, घर से समय पर स्कूल के लिए निकला, किन्तु स्कूल नहीं जाना, स्कूल में अनुशासन हीनता की समस्या उत्पन्न करना, कक्षा में साथियों के साथ आक्रामक व्यवहार करना आदि जैसे अपराधिक गुण पाये जाते हैं। हम यह जानते हैं कि किसी भी राष्ट्र का भावी विकास और निर्माण वर्तमान पीढ़ी के मनुष्यों पर उतना अवलम्बित नहीं है, जितना आनेवाले कल की नई पीढ़ी पर। अर्थात् आज का बालक ही कल का सृजनहार बनेगा। बालक का नैतिक रूझान एवं अभिरूचि जैसी होगी निश्चित तौर पर भावी समाज भी वैसे ही बनेगा। ''बाल अपराधी बालक निर्धारित आयु से कम आयु वाला व्यक्ति होता है, जो कि समाज विरोधी कार्य करने का दोषी है और इसका दुराचरण कानून का उल्लंघन है।'' इस प्रकार के दोष वाले बच्चे को प्रायः किशोरावस्था में देखा जाता है।[1]

बर्ट के अनुसार –"उस बालक को अपराधी कहते हैं, जिसकी समाज विरोधी प्रवृत्तियाँ इतनी गम्भीर हो जाती हैं कि उसके प्रति सरकारी कार्यवाही आवश्यक हो जाती है।"

बाल अपराध के प्रकार :

बाल अपराध व्यवहार की शैली और समय में विविधता प्रदर्शित करता है। प्रत्येक प्रकार का अपना सामाजिक सन्दर्भ होता है, कारण होते है तथा विरोध और उपचार के अलग स्वरूप होते हैं जो कि उपयुक्त समझे जाते हैं। बाल अपराध के निम्न प्रकार हैं –

1. वैयक्तिक बाल अपराध

यह वह बाल अपराध है जिसमें एक व्यक्ति ही अपराधिक कार्य करने में संलग्न होता है और इसका कारण भी अपराधी व्यक्ति में ही खोजा जाता है। इस अपराधी व्यवहार की अधिकत्तर व्याख्याएँ मनोचिकित्सक समझाते हैं। उनका तर्क है कि बाल अपराध दोषपूर्ण पारिवारिक अन्तक्रिया प्रतिमानों से उपजी मनोवैज्ञानिक समस्याओं के कारण किये जाते हैं। हीले और ब्रोनर (1936) ने अपराधी युवकों की तुलना उंन्हीं के अपराधी सहोदारों से और उनके बीच अन्तरों का विश्लेषण किया। उनकी सबसे महत्वपूर्ण उपलबिध यह थी कि 13.0 प्रतिशत अनपराधी सोहादरों की तुलना में 90.0 प्रतिशत अपराधी किशारों का घरेलू जीवन दुःख भरा था और वे अपने जीवन की परिस्थितियों से असन्तुष्ट थे, उनकी अप्रसन्नता की प्रकृति भिन्न थी। कुछ तो माँ–बाप द्वारा उपेक्षित मानते थे तथा अन्य या तो हीनता का अनुभव करते थे या अपने सहोदरों से ईर्ष्या करते थे या फिर मानसिक तनाव से पीड़ित थे, इन समस्याओं के समाधान के लिए वे अपराध में लिप्त हो गये थे, क्योंकि इससे (अपराध) या तो उनके माता–पिता का ध्यान उनकी ओर आकर्षित होता था या उनके साथियों का समर्थन उन्हें मिलता था या उनकी अपराध भावना को कम करता था। बन्दूरा और वाल्टर्म ने श्वेत बाल अपराधियों के कृत्यों की तुलना अनपराधी लड़कों से ही जिनमें आर्थिक कठिनाईयों के स्पष्ट संकेत नहीं थे, उन्हें पता चला की अपराधी अनपराधियों से उनकी माताओं के साथ सम्बन्धों की दृष्टि से थोड़ा–सा भिन्न ही है, लेकिन उनके पिताओं के साथ अपने सम्बन्धों में कुछ अधिक भिन्न थे, इस प्रकार अपराध में पिता पूत्र सम्बन्ध, माता–पुत्र सम्बन्ध की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण दिखाई दिए क्योंकि अपने पिता में आदर्श भूमिका की अनुपस्थिति के कारण अपराधी लड़के नैतिक मूल्यों का अंतरीकरण नहीं कर सके, इसके साथ ही उनका अनुशासन अधिक कठोर था।[1]

2. समूह द्वारा समर्थित बाल अपराध इस प्रकार के अपराध में बाल अपराध अन्य बालकों के साथ में घटित होता है और इसका कारण व्यक्ति के व्यक्तितव या परिवार में नहीं मिलता, बल्कि उस व्यक्ति के परिवार व पड़ोस की संस्कृति में होता है। थ्रेशर शॉ और मैके के अध्ययन भी इसी प्रकार के बाल अपराध की बात करते हैं, मुख्य रूप से यह पाया कि युवक अपराधी इसलिए बना क्योंकि वह पहले से ही अपराधी व्यक्तियों की संगति में रहता था, बाद में सदरलैंड ने इस तथ्य को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किये। जिसने विभिन्न संपर्क के सिद्धान्त का विकास किया।

3. संगठित बाल अपराध :

यह बाल अपराध उन बाल अपराधों का उल्लेख करता है जो औपचारिक रूप से संगठित गुटों को विकसित करके किये जाते है। इन बाल अपराधों का विश्लेषण अमेरीका में 1950 के दशक में किया गया और अपराधी उप–संस्कृति की अवधारणा को विकसित किया गया। यह अवधारणा उन मूल्यों और प्रतिमानों का उल्लेख करती है जो कि गुट के सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करते है अपराध करने को प्रोत्साहित करते है ऐसे कार्यों के आधार पर प्रतिष्ठा प्रदान करते है और उनलोगों से विशिष्ट संबंधों का उल्लेख करते है जो उन समूहीकरण के बाहर होते हैं जो समूह के प्रतिमानों से प्रभावित होते हैं कोहिन वह पहला व्यक्ति था जिसने इस प्रकार के अपराध का उल्लेख किया।

4. परिस्थितिवश बाल अपराध :

परिस्थितिवश अपराध एक भिन्न परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत करता है यहाँ यह मान्यता है कि अपराध की जड़े गहरी नहीं होती और अपराध के लिए प्रेरणाएं और उसे नियंत्रित करने के साधन बहुधा अपेक्षाकृत सरल होते हैं। एक युवा व्यक्ति आपराधिक कार्य अपराध के प्रति गहरी वचनबद्धता के बिना करता है क्योंकि उसमें मनोवेग नियंत्रण कम विकसित होता है और या पारिवारिक नियंत्रण कम सुदृढ़ होते हैं और क्योंकि पकड़े जाने पर भी उसके पास खाने के लिए अपेक्षाकृत बहुत कम होता है।[1]

बाल अपराध के कारण :

प्रायः सभी समस्याओं में बाल–अपराधी और अपराधी प्रवृत्ति के लोग पाये जाते हैं। समाज के प्रत्येक व्यक्ति पर उसका बुरा प्रभाव पड़ता है अतः अपराधों को रोकना आवश्यक है। अपराध को रोकने के लिए उसके कारणों को पता लगाना आवश्यक है। रवीन्द्र नाथ टैगोर का यह कथन है कि ''जिस बुराई का कारण हम जानते हैं वह आधी दूरी हो जाती है'' सत्य प्रतीत होता है।''

विभिन्न शास्त्रों से संबंधित विद्वानों ने बाल अपराध के पृथक्–पृथक् कारण बताये है। कुछ मनोवैज्ञानिकों का एक सम्प्रदाय बाल अपराध का कारण मनाफाइड विकृतियों का मानता है, कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अपने अध्ययनों द्वारा यह सिद्ध किया है कि बाल अपराध के सामाजिक आर्थिक राजनैतिक एवं मनोवैज्ञानिक कारण होते है। कुछ का मत है कि बाल अपराध का प्रमुख कारण मानसिक रोग होते है। इस प्रकार अपराध के कारणों पर मतैक्य नहीं है। प्रा. आर.एस. सिंह का कहना है कि ''बाल अपराध की व्याख्या एक कारक से कभी सम्भव नहीं''

पैतृकता – बाल अपराध का एक प्रमुख कारण पैतृकता है। यदि आलक की माता–पिता अपराधी प्रवृत्ति के हैं तो उसका, प्रभाव बच्चे पर पड़ता है और बह भी आपराधिक कार्य करने लगता है।

दोषपूर्ण आवास व्यवस्था – भारत के नगरों में मकानों की कमी के कारण निम्न आय के अधिकांश लोग एक ही कमरे वाले मकान अथवा झुग्गी–झोपड़ियों में निवास करते हैं। इन मकानों में बच्चों को सभी तरह की दशाओ को देखने और सुनने का अवसर मिलने के कारण उनमें उत्तेजना पैदा होने लगती है। बहुत–से बच्चे इसी उत्तेजना के कारण अश्लील व्यवहार यौनिक अपराधों तथा मारपीट जैसे अपराधों के शिकार हो जाते हैं।

बच्चों का तिरस्कार – जिन परिवारों में माता–पिता का जीवन बहुत व्यस्थ होता है अथवा अपनी सुख–सुविधाओं में पड़े रहने के कारण मे बच्चों को अपनी स्वतंत्रता में बाधा समझने लगते हैं, वहाँ बच्चों का जीवन बहुत तिरस्कृत हो जाता है। इस दशा में बच्चों का मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है इसी के फलस्वरूप उनमें अपराधी व्यवहार की प्रवृत्ति उत्पन्न होने लगती है।

बिखरे परिवार परिवार के सदस्यों में हमेशा कलह बनी रहने से मानसिक स्तर पर परिवार टूटने लगता हटे परिवारों में एक और बच्चे में ऐसी अनिवार्य आवश्यकताएँ पूरी नही हो पाती तथा दूसरी ओर परिवार के वातावरण से बच्चे में ऐसी उतेजनाएं पैदा होने लगती है। जिनके प्रभाव से वह बचपन से ही समाज–विरोधी कार्य करना आरम्भ कर देता है।

दोषपूर्ण अनुशासन – अत्यधिक कठोर अनुशासन अथवा बच्चों को दी जाने वाली आवश्यकता से अधिक स्वतंत्रता भी ऐसी दशाएँ हैं जो बच्चों को अपराध की ओर ले जाती है। छोटी–छोटी बात पर बच्चों को शारीरिक दण्ड देने से बच्चे स्वयं ही क्रूर व्यवहार के अभ्यस्त होने लगते हैं। यही प्रवृत्ति उन्हें साथियों से मार–पीट करने और हिंसक व्यवहार करने की प्रेरणा देती है। अधिक लाड़–प्यार से बच्चों में जुआ, खेलने, शराब पीने तथा यौनिक अपराध करने की प्रवृत्ति बढ़ने लगती है।

पक्षपातपूर्ण व्यवहार – परिवार में यदि किसी बच्चे को अधिक प्यार दिया जाये तथा किसी दूसरे बच्चे के साथ हमेशा कठोर व्यवहार किया जाये तो स्वाभाविक है कि ऐसे कठोर व्यवहार से बच्चे के मन में ईर्ष्या और बदले की भावना उत्पन्न होने लगती हैं और वे गलत संगत में पड़कर अपराधी बन जाते हैं।

अधिक सुख की इच्छा – मनोवैज्ञानिक रूप से बाल–अपराधियों में यह भावना बहुत प्रबल होती है कि उच्च वर्ग के लोगों की तरह उन्हें भी अधिक–से–अधिक सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए, इसका साधन चाहे कुछ भी हो। मादक द्रव्यों का उपयोग और उनसे उत्पन्न होने वाले अपराध भी अधिक सुख की इच्छा का ही परिणाम होते हैं।

हीनता की भावना – जो बच्चे आरम्भ में ही पढ़ने में बहुत कमजोर होते हैं, अपने साथियों की तुलना में शारीरिक रूप से विकारयुक्त होते हैं अथवा जो किसी भी काम को कुशलतापूर्वक नहीं कर पाते, वे इस हीन भावना का शिकार हो जाते हैं और अपराध की ओर अग्रसर हो जाते है।[1]

बाल अपराध के रोकथाम के उपाय

समुचित पालन पोषण :– किशोर अपराध के निरोध का मूलमंत्र उन कारणो की रोकथाम है जिनसे बालक अपराधी बनते है विभिन्न अध्ययनों से यह देखा गया है कि अपराध की ओर जाने का मूल कारण बालक का समुचित पालन पोषण न होना है। अतरू किशोरापराध को रोकने के लिए सबसे प्रथम परिवारों का पुनर्संगठन करना होगा माता या पिता बनने से पहले प्रत्येक स्त्री और पुरूष को बाल मनोविज्ञान तथा बालकों के पालन पोषण संबंधी बातों का ज्ञान होना आवश्यक है। बालक का पालन पोषण एक कला एवं विज्ञान है इस कला की आवश्यक शर्ता माता–पिता का चरित्र एवं व्यवहार तथा घर का वातावरण है आवश्यकता से अधिक लाड़ प्यार से बालक बिगड़ते जाते है। आवश्यकता से कम स्नेह तथ्ज्ञा प्रापर पाने से उनका भावात्मक विकास नही हो पाता। अतरू प्यार का बालक के जीवन में बडा महत्व है। मारपीट और अपमान बहुधा बालक को अपराध की राह पर ले जाता है। घर में वातावरण प्रेमपूर्ण होना चाहिए दूसरे बालक की जिज्ञासाओ के समाधान में बडी सावधानी की आवश्यकता है कोई बात पूछने पर बालक को झिझक दिया जाए या उससे झूठ बोल देने पर प्रभाव बडा बुरा पडता है।

बहुधा बालको से यौन जिज्ञासाओं के विषय में झूठ बोल दिया जाता है बालक जब अपने साथियों या घर के नौकरों से सही बात का पा जाता है तब उन पर माता–पिता का झूठ खुला जाता है। बहुधा स्त्री पुरूष के परस्पर प्रेम व्यवहार के समय बालक के आ जान पर वे अपराधी की सी मुद्रा बना लेते है या बालको को फटकार देते है इससे बालक में अपराध ग्रंथी बन जाती है। आवश्यक यौन शिक्षा के अभाव में अनेक बालक–बालिकाऐं बाल अपराध की राह पर अग्रसर हो जाते है। माता–पिता बालक के सामने आदर्श होते है। उनके आपस में झगड़ों का और उनके चरित्र को ठीक रखने के विषय में बालक के प्रति जिम्मेदारी महसूस करनी चाहिए वास्तव में बालक को अपराध से बचाने का तरीका उसकी बुरी आदतों को रोकना नही बल्कि उसमें अच्छी आदतें डालना है।

स्वस्थ मनोरंजन

मनोरंजन का व्यक्ति के जीवन में बडा महत्वपूर्ण स्थान होता है स्वस्थ मनोरंजन के अभाव में बालक की अपराधी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन मिलता है। अतरू अपराधों को रोकने के लिए स्वस्थ तथा सुसंस्कृत मनोरंजन की सामग्रियों का उपलब्ध होना अत्यंत आवश्यक है।

समुचित शिक्षा

परिवार के बाद बालक पर विद्यालय का प्रभाव पडता है अतरू किशोर अपराध को रोकने के लिए बालक की समुचित शिक्षा का प्रबंध होना जरूरी है। समुचित शिक्षा में शिक्षक का व्यक्तित्व विद्यालय का पाठ्यक्रम, शिक्षा की विविधता और पाठ्यक्रम के अलावा कार्यक्रमों का बडा महत्व होता है। शिक्षकों को बाल मनोविज्ञान का विशेष ज्ञान होना चाहिए। ताकि वे अपने विषय को मनोरंजक ढंग से उपस्थिति कर सके और बालक में विषय के प्रति रूचि उत्पन्न कर सकें। शिक्षक का आचरण और व्यवहार बडा सुधरा हुआ होना चाहिए क्योंकि बालक को उसके उराहरण से शिक्षा देनी चाहिए बालक का अपमान बडा भी ही घातक सिद्ध होता है। शारीरिक दण्ड का यथासम्भव प्रयोग नही होना चाहिए। पढ़ने लिखने में कमजोर बालकों की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए क्योंकि उनके अपराधी बनने की संभावना अधिक रहती है विद्यार्थियों को अपनी इच्छा अनुसार विषय चुनने तथा आपस के मामलों को स्वयं निपटाने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। खेलकूद नाटक, वाद विवाद, स्काउटिंग तथा नाना प्रकार की प्रतयोगिताओं के द्वारा बालक की विभिन्न प्रवृत्तियों को अभिव्यक्त होने का अवसर मिलने से

उसकी अपराध की ओर जाने की संभावना कम हो जाती है सामान्य शिक्षा के साथ–साथ बालको को शारीरिक शिक्षा, औद्योगिक शिक्षा तथा नैतिक शिक्षा की आवश्यकता है। स्कुल से भागना, अपराध की पहली सिढ़ी है स्कूल का वातावरण तथा शिक्षा पद्धति ऐसी होनी चाहिए कि बालक विद्यालय से न भागें।[1]

निष्कर्ष

आज बाल अपराध की समस्या समाजशास्त्रियों, अपराधशास्त्रियों तथा मनोवैज्ञानिकों के लिये गम्भीर विचार का प्रश्न बनी हुई है, क्योंकि बाल अपराध की निरन्तर वृद्धि ने वयस्क अपराध की समस्या को अधिक भयावह बना दिया है। यह माना जाता है कि बाल अपराध, अपराध का प्रवेश द्वार है। यही कारण है कि वर्तमान समय में बाल अपराध की समस्या की तरफ विशेष ध्यान दिया जा रहा है तथा बाल अपराध की ओर प्रवृत्त करने में उत्तरदायी कारकों की खोज तथा बाल अपराध निषेध के कार्यक्रमों का विश्लेषण किया जा रहा है। बाल अपराध प्रारम्भिक अवस्था में रोका जा सकता है यदि घर पर तथा विद्यालयों में उचित देख–रेखकी जाय। अभिभावकों व शिक्षकों की बच्चों के स्वस्थ मानसिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन पर अपराधी का आक्षेप ने लगाकर उनमें सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक सुधार के लिए गंभीरतापूर्वक कार्य किया जाना चाहिए।

संदर्भ

1.अग्रवाल, जे.सी. शैक्षिक तकनीकी एवं प्रबन्ध, विकास पब्लिशिंग हाउस प्रा.लि., नई दिल्ली, 2006, पृ0 56।

2.गुप्ता, एस.पी. व बाजपेई पी.के. शिक्षा के दार्शनिक एवं सामाजिक आधार, मार्डन पब्लिकेशन, जालंधर, 2008, पृ0 23।

3.पाठक, पी0डी0 शिक्षा मनोविज्ञान, अग्रवाल पब्लिकेशन्स, आगरा, 2012, पृ0 89।

4.बार–ऑन, आर0 इमोशनल ऐण्ड सोशल इंटेलिजेन्स : इनसाइट्स फ्राम द इमोशनल क्योशेन्ट इन्वेन्ट्री। आर0 बार–ऑन एवं जे0डी0ए0 पार्कर (सम्पा0). हैण्डबुक ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। सेनफ्रांसिस्को : जेसी ब्रास 2000, पृ0 78।

5.भार्गव, महेश विशिष्ट बालक, एच.पी. भार्गव बुक हाउस, आगरा–14, 2007, पृ0 54।